समक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रयागराज।

परिवाद संख्या–202/2019

उपस्थित– श्री मोहम्मद इब्राहीम (अध्यक्ष)

श्री प्रकाश चन्द्र त्रिपाठी (सदस्य)

डॉ0 अनुराग मिश्र पुत्र स्व0 गिरजा शंकर मिश्र निवासी–2/2 मलाकराज, ए0डी0ए0 कालोनी, रामबाग,तहसील–सदर, जिला प्रयागराज।

––परिवादी।

बनाम

युनाइटेड इंडिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि0, ब्रांच शाखा–2, 147 बी/106 रामबाग, प्रयागराज–211003

––विपक्षी।

परिवाद दाखिल करने की तिथि– 22.05.2019

द्वारा–श्री मोहम्मद इब्राहीम (अध्यक्ष)

निर्णय

परिवादी द्वारा यह परिवाद–पत्र विपक्षी के विरूद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा–35 के अन्तर्गत अनुतोष प्राप्ति के लिए प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में परिवादी का कथन है कि परिवादी ने विपक्षी से दिनांक–31.03.2017 को अपनी दो पहिया वाहन हीरो स्पेलण्डर प्लस मोटर साइकिल जिसका नम्बर यू0पी0 70 सी ई–5620 व इंजन नं0–एच.ए. 10 ई.जे.डी.एच.एफ. 44588 एवं चेचिस नंबर–एम.बी.एल. एच.ए. 10 ए.एम.डी.एच.एफ. 47763 का बीमा कराया था, जिसका पालिसी नंबर–0803033116 पी. 118381324 है, जो दिनांक–30.03.2018 तक मान्य था। परिवादी दिनांक–09.07.2017 को खण्ड रामायण का पाठ में सम्मिलित होने के लिए म0नं0–26 तुलाराम बाग गया था, तब भोर लगभग 03 बजे गेट पर देखा तो गाड़ी मौके पर नहीं थी, चोरी हो गयी थी। परिवादी ने आस–पास बहुत ढूँढ़ा, लेकिन गाड़ी का कहीं पता नहीं चला तब परिवादी तुरन्त थाना जार्जटाउन को सूचित किया और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया। परिवादी के पिता के अचानक बीमारी में मृत्यु होने व माता की बीमारी के कारण एवं अज्ञानता के कारण बीमा कम्पनी को सूचना नहीं दे सका। परिवादी को यह जानकारी थी कि बिना एफ0आई0आर0 के क्लेम नहीं मिलता है, जिस कारण से विभाग

को सूचना नहीं दिया। प्रथम सूचना रिपोर्ट करने के बाद पुलिस नाकामयाब होने के बाद पुलिस फाइनल रिपोर्ट लगा दी उसके बाद पुलिस महकमे के विभागों के चक्कर लगाती हुई एफ0आर0 न्यायालय को प्रेषित की गई, उसके बाद दिनांक–09.03.2019 को न्यायालय ने उक्त एफ0आर0 को स्वीकृत किया और नकल आदेश दिनांक–01.04.2019 को प्राप्त हुई। परिवादी दिनांक–11.04.2019 को विभाग में सारे कागजात लेकर गया और रिसीव कराया। परिवादी को विपक्षी विभाग से पत्र मिला कि आपका क्लेम पास नहीं होगा, क्योंकि विपक्षी विभाग को सूचना नहीं दी थी, जब कि प्रश्न यह उठता है कि जब गाड़ी चोरी हुई तो गाड़ी बीमित थी की नहीं। परिवादी द्वारा अनभिज्ञता व परेशानियों के कारण छोटी–सी त्रुटि से क्लेम न देना कम्पनी की घोर लापरवाही है और परिवादी के साथ अन्याय है। परिवादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट को पर्याप्त आधार मानते हुए गाड़ी उक्त समय अन्तराल में पूर्ण बीमित थी, इसलिए क्लेम पाने का पूर्ण हकदार हूँ, क्योंकि बीमा, व्यक्ति दुर्घटना चोरी आदि के लिए ही कराता है। परिवादी ने विपक्षीगणों को दिनांक–09.05.2019 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक नोटिस भी भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। परिवाद का कारण दिनांक–09.05.2019 को न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ है, जिससे परिवाद सुनने व निर्णय करने का अधिकार बअदालत को हासिल है। परिवादी द्वारा अनुतोष में याचना की गई है कि परिवादी को विपक्षी से पालिसी के अनुसार बीमा की धनराशि दिलाया जाय तथा क्षतिपूर्ति के रूप में 50,000/–रू0 तथा वाद व्यय व अन्य उपषम जो न्यायालय उचित समझे दिलाया जाय। परिवादी द्वारा परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

परिवादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रतियॉ, मु0 सं0–94/2018 में न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0 18 इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक–09.03.2019 की छायाप्रति, अंतिम फार्म/रिपोर्ट की छायाप्रतियॉ, विधिक नोटिस की छायाप्रतियॉ मय डाक रसीद टिकट की छायाप्रति, परिवादी द्वारा विपक्षी युनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कं0 लि0 से किये गये पत्राचार की छायाप्रति, युनाइटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि0 के सर्टीफिकेट ऑफ इंश्योरेन्स व शिड्यूल की छायाप्रतियॉ, युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं0 लि0 द्वारा परिवादी से किये गये पत्राचार दिनांक–16 अप्रैल, 2019 की छायाप्रति तथा साक्ष्य शपथ पत्र व लिखित बहस दाखिल किया गया है।

विपक्षी के विरूद्ध दिनांक–15–12–2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसारित की

गई।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध युनाइटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि0 के सर्टीफिकेट ऑफ इंश्योरेन्स व शिड्यूल की छायाप्रतियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी ने विपक्षी से दिनांक–31.03.2017 को अपनी दो पहिया वाहन हीरो स्पेलण्डर प्लस मोटर साइकिल जिसका नम्बर यू0पी0 70 सी ई–5620 व इंजन नं0–एच.ए. 10 ई.जे.डी.एच.एफ. 44588 एवं चेचिस नंबर–एम.बी.एल.एच.ए. 10 ए.एम.डी.एच.एफ. 47763 का बीमा कराया था, जिसका पालिसी नंबर–0803033116 पी. 118381324 है, जो दिनांक–31.03.2017 से दिनांक–30.03.2018 तक मान्य था तथा उपरोक्त दो पहिया वाहन हीरो मोटोकार्प/स्पेलण्डर प्लस एलाय सेल्फ का आई.डी.वी 29,500/–रू0 थी। परिवादी का प्रश्नगत वाहन दिनांक–09.07.2017 को चोरी हो गया था, जिससे साबित होता है कि परिवादी की प्रश्नगत वाहन बीमा अवधि के अन्दर चोरी हुआ था। पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक–09.07.2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा प्रश्नगत दो पहिया वाहन के चोरी के सम्बन्ध में उसी दिन दिनांक–09.07.2017 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया था। अंतिम फार्म/रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी है। जो सक्षम न्यायालय के द्वारा स्वीकार भी की जा चुकी है। विधिक नोटिस के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा विपक्षी युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं0 लि0 को विधिक नोटिस भेजा था। पत्रावली पर परिवादी द्वारा विपक्षी युनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी से किये गये पत्राचार की छायाप्रति के अवलाकन से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा प्रश्नगत वाहन चोरी होने की सूचना विपक्षी इंश्योरेंस कंपनी को दिनांक–11 अप्रैल, 2019 को दिया था। परिवादी का कथन है कि विपक्षी द्वारा पत्र दिनांक–16 अप्रैल, 2019 द्वारा परिवादी का क्लेम यह कथन करते हुए निरस्त कर दिया गया कि परिवादी को तुरन्त लिखित सूचना देना चाहिए था। जिसके सम्बन्ध में परिवादी का कथन है कि पिता की मृत्यु होने के कारण व माता की बीमारी के कारण एवं अज्ञानता के कारण बीमा कम्पनी को सूचना नहीं दे सका। परिवादी को यह जानकारी थी कि बिना एफ0आई0आर0 के क्लेम नहीं मिला है, जिस कारण से विभाग को सूचना नहीं दिया। पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षी के पत्र दिनांक–16 अप्रैल, 2019 के अवलोकन से स्पष्ट है, जिसमें विपक्षी द्वारा यह स्वयं कथन किया गया है कि चोरी या अन्य आपराधिक कृत्य के मामले में, जो इस पालिसी के तहत दावे का विषय हो सकता है, बीमाधारक पुलिस को तत्काल सूचना देगा और कंपनी के साथ सहयोग करेगा।

परिवादी द्वारा प्रश्नगत दो पहिया वाहन के चोरी के सम्बन्ध में एफ0आई0आर0 दिनांक—09.07.2017 को दर्ज कराया जिसमें अंतिम फार्म/रिपोर्ट दिनांक—09.10.2017 को लगायी गई तथा उसके पश्चात विपक्षी युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि0 से पत्राचार कर एफ.आई.आर तथा एफ.आर. व अन्य आवश्यक प्रपत्र विपक्षी को दिनांक—11 अप्रैल, 2019 को उपलब्ध कराया, लेकिन विपक्षी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा देरी से विपक्षी को सूचना देने के कारण परिवादी का क्लेम निरस्त कर दिया, जो कि न्यायोचित नहीं है, क्योंकि परिवादी का प्रश्नगत वाहन बीमा अवधि के अन्तर्गत चोरी हुआ था तथा परिवादी द्वारा एफ.आई.आर तथा एफ.आर. व अन्य आवश्यक प्रपत्र विपक्षी युनाइटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कंपनी लि0 को उपलब्ध कराया था, सिर्फ देरी से विपक्षी इंश्योरेंस कंपनी को सूचना देने के कारण परिवादी का क्लेम निरस्त कर विपक्षी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा सेवा में कमी की गई है। परिवादी के प्रश्नगत दो पहिया वाहन का चोरी के समय Insured Declared Value 29,500/- रू0 था, इसलिए विपक्षी युनाइटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कंपनी लि0, परिवादी को प्रश्नगत चोरी हुए दो पहिया वाहन का Insured Declared Value 29,500/- रू0 मय ब्याज सहित भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

अतएव पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से एकपक्षीय आज्ञप्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से एकपक्षीय आज्ञप्त किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि निर्णय की तिथि से 02 माह के अन्दर परिवादी को प्रश्नगत चोरी हुए दो पहिया वाहन का Insured Declared Value 29,500/- रू0 मय 08 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज सहित परिवाद दाखिल करने की तिथि से भुगतान करना सुनिश्चित करे। परिवादी, विपक्षी से मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में मु0 5,000/—रू0 व वाद व्यय के रूप में मु0 2,000/—रू0 भी प्राप्त करने का अधिकारी है।

P.C. Tripathi 05.03.2024
(प्रकाश चन्द्र त्रिपाठी)
सदस्य

05/3/2024
(मोहम्मद इब्राहीम)
अध्यक्ष